

बिहार सरकार  
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

विपिन कुमार राय,  
विशेष कार्य पदाधिकारी

सेवा में

अवर सचिव,  
बिहार विधान सभा,  
पटना।

पटना-15, दिनांक-

विषय:- श्री जगदीश शर्मा, स0वि0स0 के ध्यानाकर्षण के उत्तर से उद्भूत आश्वासन संख्या-170/07 का कार्यान्वयन (अनुपालन ) प्रतिवेदन का प्रेषण।

प्रसंग:- बिहार विधान सभा सचिवालय का पत्रांक 232 वि0स0 दिनांक-18.05.2007  
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक श्री जगदीश शर्मा, स0वि0स0 के ध्यानाकर्षण के उत्तर से उद्भूत आश्वासन संख्या-170/07 जिसमें खेत खलिहान में अग्निकांड से फसल क्षति होने पर मुआवजा भुगतान हेतु विभाग द्वारा गाईडलाईन बनाकर तथा बजट उपबंध कराकर सरकार की तरफ से विधिवत् घोषणा करने का आश्वासन दिया गया है, जिसका अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत है:-

“विभागीय पत्रांक 1023/आ0प्र0 दिनांक-21.04.2008 द्वारा राज्य के कृषकों की खेत में लगी अथवा खलिहान में रखी गई फसल की क्षति अग्निकांड से होने की स्थिति में अनुदान भुगतान का प्रावधान कर दिया गया है। अग्निकांड से खेत एवं खलिहान के फसल की क्षति को सी0आर0एफ0 के अनुमान्य मदों में समावेशित करने हेतु भारत सरकार को अनुशंसा भेजी गयी थी। विभागीय पुनर्समीक्षा में यह स्थिति सामने आयी कि सी0आर0एफ0 के अन्तर्गत केन्द्रीय मानदर के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से फसल क्षति के निर्धारित कृषि इनपुट अनुदान का मानदर अग्निकांड से फसल क्षति (खेत एवं खलिहान) में भी लागू किया गया है। “ पत्र की प्रति संलग्न है।

अतएव, उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में श्री जगदीश शर्मा, स0वि0स0 के ध्यानाकर्षण के उत्तर से उद्भूत आश्वासन संख्या-170/07 को इस विभाग की ओर से कार्यान्वित मानते हुए बिहार विधान सभा की लंबित सूची से मुक्त करने का अनुरोध प्रश्न एवं आश्वासन समिति से करने तथा कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/-

(विपिन कुमार राय)  
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-...../आ0प्र0 पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि-उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-1197...../आ0प्र0 पटना-15, दिनांक- 21/8/13

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी